

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 526] No. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2016/श्रावण 7, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2016/SRAVANA 7, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 747(अ).—केन्डीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) ी धारा 44 के साथ पठित धारा 59 ी उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ड) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों ी वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों ी छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों ी वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों ी छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन ी तारीख वो प्रवृत्त होंगे।
- 2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के नियम 3 के उपनियम (2) में,--
 - (क) पहले परंतुक में "31 जुलाई, 2016 वो या उसके पूर्व" अंवों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2016 वो या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) दूसरे परंतुक में "31 जुलाई, 2016 वो या उसके पूर्व" अंवों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2016 वो या उसके पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (ग) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह भी कि ऐसे लोक सेवक जिन्होंने उनवो लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति ी घोषणाएं, सूचना और वार्षिक विवरणियां फाइल कर री हैं, 31 दिसंबर, 2016 वो या उसके पूर्व, 31 मार्च, 2016 वो यथाविद्यमान पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना या, यथास्थिति, वार्षिक विवरणियां सक्षम प्राधिकारी वो फाइल करेंगे।"

[फा. सं. 407/16/2016-एटीडी-IV(एल.पी.)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 638(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 918(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. 322(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2015 और सा.का.नि. 536(अ), तारीख 3 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 776(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2015 और सा.का.नि. 414(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2016 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2016.

G.S.R.747(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (m) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, in rule 3, in sub-rule (2),-
 - (a) in the first proviso, for the words and figures "on or before the 31st day of July, 2016", the words and figures "on or before the 31st day of December, 2016" shall be substituted;
 - (b) in the second proviso, for the words and figures "on or before the 31st day of July, 2016", the words and figures "on or before the 31st day of December, 2016" shall be substituted;
 - (c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that the public servants who have filed declarations, information and annual returns of property under the provisions of the rules applicable to such public servants, shall file the revised declarations, information or as the case may be, annual returns as on the 31st day of March, 2016, to the competent authority on or before the 31st day of December, 2016."

[F.No.407/16/2016-AVD-IV(LP)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 638(E), dated the 8th September, 2014, G.S.R. 918(E), dated the 26th December, 2014, G.S.R. 322(E), dated the 27th April, 2015, G.S.R. 536(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 776(E), dated the 12th October, 2015 and G.S.R. 414(E), dated the 11th April, 2016.